न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—268/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00032)

01. कानाराम पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम फालियावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। (मृतक दौराने अपील)
1/1. सीतादेवी बेवा कानाराम,
1/2. विष्णु कुमार पुत्र कानाराम,
1/3. महेश पुत्र कानाराम,
1/4. सोना पुत्री कानाराम,
1/5. नीतू पुत्री कानाराम, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम फालियावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
02. जगदीश पुत्र गोपाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फालियावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
03 रामूलाल पुत्र किशना, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फालियावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. रामप्रसाद पुत्र तुलसा देवी शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
02. संतरा उर्फ सुमित्रा पुत्री तुलसा देवी शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी, जिला जयपुर।
03. कान्ता पुत्री तुलसा देवी शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम सालगरामपुरा, तहसील सांगानेर जिला, जयपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
05. उप पंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
06. सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत फालियावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

07. सीताराम पुत्र किशना, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फालियावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
08. नारायण पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फालियावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
09. बजरंग लाल पुत्र किशना जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फालियावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
10. गोपाल पुत्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
11. कमली पुत्री मूलचन्द, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
12. रामा पुत्री गोपाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील

निर्णय

दिनांकः 16.04.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर के आदेश दिनांक 22.06.2016 (प्रकरण संख्या 21/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम फालियावास भू अभिलेख निरीक्षक कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 140/2, 157, 170, 171, 182, 170/266 कुल किता 6 कुल रकबा 76 बीघा 10 बिस्वा के भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार किशना पुत्र महादेव कौम बारगांव ब्राहाम्ण थे, किशना पुत्र महादेव की फौती के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 05.08.2004 को ग्राम पंचायत फालियावस द्वारा उनके जीवित वारिसानों के नाम तस्दीक किया गया, उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध एक अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रकरण संख्या 90/2004 प्रस्तुत की गई तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 09.10.2007 को ग्राम पंचायत फालियावास द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 379 को खारिज फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी को उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार निर्णय पारित करने बाबत प्रतिप्रेषित किया गया तथा उक्त श्रीमान् के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील मूलचन्द बनाम श्रीमती मंगली देवी प्रकरण संख्या 10665/2007 प्रस्तुत हुई उक्त अपील में दिनांक 09.07.2014 को राजस्व मण्डल द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी के समक्ष पक्षकारान को उपस्थित होने की हिदायत देते हुये राजीनामें के आधार पर चाराजोही करने के निर्देश दिये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेशों की पालना में अपीलाधीन प्रकरण को धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दर्ज कर कार्यवाही चालू की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने कार्यवाही राजस्व मण्डल राजस्थन अजमेर के आदेशों की पालना किये बिना ही दिनांक 25.05.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प फालियावास में भेजी गई किन्तु उक्त दिनांक को कोई कार्यवाही नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2016 को उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प बस्सी में रखी गई किन्तु अपीलार्धीगण व रेस्पोडेन्टान को उक्त कैम्प में हाजिर होने बाबत कोई अदालती नोटिस व अन्य कोई सूचना प्रेषित नही कर बाला–बाला अपीलार्थीगण को बिना साक्ष्य, समर्थन व सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही तथा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्देशें की बिना पालना किये ही अवैध अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 पारित किया गया है, जो विधि विधान, संचिका

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व फैसल नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 05.08.2004 द्वारा ग्राम पंचायत फालियावास को भी स्वीकार करते हुये पटवारी हल्का को अवैध रूप से किशना पुत्र महादेव की फौती वर्ष 2001 के पूर्व उनकी पुत्री तुलसा पुत्री किशना का स्वर्गवास वर्ष 1991 में हो जाने के पश्चात् भी उक्त तुलसा के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित करने का अवैध अपीलधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प 2016 बस्सी में अवैध रूप से पारित किया गया है, अपीलार्थीगण को कोई साक्ष्य, समर्थन व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा ना ही पत्रावली के पुश्त व फर्द अहकाम पर नोटिस प्रदत्त किये जाने बाबत कोई टिप्पणी ही अंकित है, अपीलार्थीगण एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट दिनांक 25.05.2016 को कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत फालियावास में गांव के मौजीज व्यक्तियों के कहने पर उपस्थित हुये थे वहॉं तहसीलदार ने पक्षकारान के प्रतिप्रेषित पत्रावली पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अवश्य करवाई थी किन्तु पक्षकारान द्वारा राजीनामा बाबत वार्तालाप की गई तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदालत मुख्यालय पर अन्य पक्षकारान को राजीनामा स्वीकार कर निर्णय पारित करने की हिदायत दी गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पक्षकारों का कोई राजीनामा ही आगामी तारीख पेशी पर लिया गया तथा ना ही पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी ही अवगत करवाई गई, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाला--बाला मुख्यालय तहसील कैम्प बस्सी में राजस्व मण्डल व न्यायालय श्रीमान् के आदेशों की तामील करते हुये बिना निर्देशों की पालना किये ही अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने दौराने बहस कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर जरिये राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाने में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को कोई आपत्ति व उज्र नही है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर अपील संख्या 10665/07 उनवान मूलचन्द बनाम श्रीमती मंगली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2014 द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 09.10.2007 के अनुसरण में उभय पक्षकारान को हिदायत दी गई है कि वह तहसीलदार बस्सी के समक्ष [illegible] करें तथा अपीलान्ट का

अपीलान्ट्स को बिना सूचना दिये ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रख लिया तथा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 पारित किया गया अपीलान्ट के उक्त तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी जाहिर होती है अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के समय अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात, प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।